न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **157/23 (वाद)**

GCMS No. : 2023/457

1. हीरा पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 85 वर्ष, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. चेना पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 80 वर्ष, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. गेबीलाल पिता खेमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. तुलसीराम पिता खेमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. धापु पुत्री खेमा जी पत्नी रामाजी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. मीरा पुत्री खेमा जी पत्नी तुलसीराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. रूपलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. चुन्नीलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. मोवनी पुत्री गोर्धन जी पत्नी वाला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नउवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. सुखा पुत्री गोर्धन जी पत्नी मोहन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. लेहरीबाई पत्नी गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. गणेश पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. अमरलाल पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. दौलतराम पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. रतनलाल पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

14. दौलीबाई पुत्री सवा जी पत्नी स्व० हजारी जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (करूमड़ो का ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. खेमराज पिता जोधराज जी (माता चुन्नीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी 'विकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. पुष्पाबाई पुत्री जोधराज पत्नी दूदा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी झीपो का रेहट, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
17. लीलाबाई पुत्री जोधराज पत्नी गेहरीलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी सांगवा (नोहरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. उदयलाल पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. नानू पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. नारी पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. मीठू पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. दूदाराम पिता भेरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. गेहरीलाल पिता भेरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. गणेशी पुत्री भेरा जी पत्नी भेरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. गोपी पुत्री भेरा जी पत्नी गंगाराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नेता का गुड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
26. फेफा बाई पुत्री भेरा जी पत्नी चेना जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी सीला का गुड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०) ५
27. वरदा पिता भगा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला गथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. चुन्नीलाल पिता भगा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. पुरालाल पिता भगा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
30. चन्दरीबाई पुत्री भगा पत्नी कालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
31. ऐजीबाई पुत्री वाला जी पत्नी भोला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

32. कँकू पुत्री वाला जी पत्नी डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
33. मोवनी पुत्री वाला जी पत्नी भज्जा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी झीपो का रेहट, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
34. भेरा पिता वाला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
35. जीवा पिता गंगाराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
36. देवा पिता गंगाराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
37. हगी पुत्री गंगाराम जी पत्नी कालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी रठूजणा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
38. वेणा पिता टीला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई). तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
39. दूदाराम पिता टीला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
40. मांगीलाल पिता गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
41. लक्ष्मीबाई पिता गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
42. –नीमा पिता गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
43. झमकू पत्नी गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
44. वख्ता पिता देवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
45. हमेरा पिता पदमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
46. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
47. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
48. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुरेश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 25.03.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मांगथला, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 389 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा एवं नवला पुत्र परथा डांगी के नाम 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित मात्र है। खातेदार नवला पुत्र परथा डांगी लाऔलाद फौत हो चुका हैं जिसके निकटतम वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हैं। टिला पुत्र देवा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 38 से 43 तक हैं। नानी पुत्री वाला लाऔलाद फौत हो चुकी हैं। नानजी पुत्र जेता की मृत्यु हो गई है जिसके वारिसान हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 से 9 तक हैं। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है।
2. यह कि खाता संख्या 333 दर्ज आराजी नम्बर 406 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक के नाम 1/54 हिस्सा एवं नवला पुत्र परथा डांगी के नाम 1/54 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित मात्र है। खातेदार नवला पुत्र परथा डांगी लाऔलाद फौत हो चुका हैं जिसके निकटतम वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित आराजी नम्बर 389, 406 सहित आराजी नबर 378, 376, 377, 393, 390 पूर्व में खातेदार नवला, खेमा पिता परथा गौत चौपड़ा डांगी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में थी जिससे खातेदार नवला एवं खेमा ने रूपयों की आवश्यकता होने से अपने खाते दर्ज परिशिष्ट (1), (2) में वर्णित आराजी नम्बर 389, 406 सहित आराजी नबर 378, 376, 377, 393, 390, 391 में निहित अपने कुलिया 1/3 हक व हिस्सा को अपने तमाम हक हकूको एवं अधिकार सहित दिनांक 17–12–1977 को 2,500/– दो हजार पांच सौ रूपये में हम वादीगण एवं हमारे भाई गोर्धन पिता नानजी को बराबर–बराबर हक हिस्सेनुसार विक्रय कर दी और विक्रेतागण नवला व खेमा ने कुलिया विक्रय प्रतिफल राशि हमसे प्राप्त करते हुए हम क्रेतागण के पक्ष में विक्रय पत्र लिखकर दिनांक 17–12–1977 को उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

पंजीयक कार्यालय मावली में विक्रय पत्र का पंजीयन करा दिया और विक्रित कृषि भूमि का कब्जा हम क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया। तब से इस जमीन पर हम क्रेतागण हीरा, चेना अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और आज भी हम अपनी खरीदसुदा हिस्से की कृषि भूमि पर परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर लगातार शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमारे हिस्से कब्जे की भूमि को काश्त योग्य बनाने में भी हमने व हमारे परिजनों ने अब तक लाखों रूपयों का खर्चा किया है और परिवार सहित कड़ी मेहनत कर इस कृषि भूमि को विकसित कर आवादान की है तथा आज भी हम वादीगण अपने हिस्से की क्रयसुदा कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और हमने हमारे पिता से प्राप्त हुए हिस्से की भूमि व इस क्रयसुदा जमीन का मौके पर एकचक बना रखा हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। हमारे भाई गोर्धन की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 9 तक हैं। विक्रेता खेमा की मृत्यु हो चुकी है एवं नवला लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हैं।

4. यह कि हम वादीगण आज भी नवला व खेमा डांगी से क्रय किये गये हक हिस्से पर परिवारजन सहित निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और नवला व खेमा डांगी द्वारा उक्त उनके हिस्से कब्जे की जमीन हमें बेच देने के बाद से यहां उनका कोई हक अधिकार नही रहा हैं तथा हम वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए क्रय की गई विक्रय पत्र में वर्णितानुसार हक व हिस्सेनुसार कृषि भूमियों को विक्रेता खातेदार के बजाय हमारे नाम पर रद्दोबदल किये जाने हेतु तत्समय पटवारी को भी विक्रय पत्र उपलब्ध कराया गया जिस पर पटवारी द्वारा हमें आश्वास्त किया कि वो विक्रय पत्र में वर्णितानुसार क्रय की गई भूमियों को हमारे नाम पर खाते में दर्ज कर देगें और हम वादीगण ने भी ग्रामीण परिवेश के रहने वाले होकर भोले भाले लोग होने की वजह से पटवारीजी की बात पर भरोसा लिया। लेकिन दिनांक 01–10–2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मौके पर आये और हम वादीगण को धमकी देकर गये कि ये जमीन हमारे नाम पर है और तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटाकर जमीन खाली कर देना वरना हम इस जमीन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

तुम्है बेदखल कर देगें और कुलिया जमीन खुर्द बुर्द कर देगें। इसके बाद हमने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णितानुसार कृषि भूमियों की जमाबन्दीयां की प्रति निकलवाई तो वाद वर्णित कृषि भूमि में से विक्रेता नवला व खेमा से हमारे द्वारा क्रय किया हिस्सा हमारे नाम पर खातेदारी में दर्ज नही होने की जानकारी हुई तो हमने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए खोले गये नामान्तरकरण संख्या 253 की प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे हमें यह ज्ञात हुआ कि पटवारीजी ने बिना किसी अधिकार के मनमाने ढंग से विक्रय पत्र में वर्णित सभी आराजीयात का अंकन नामान्तरकरण में नहीं कर केवल मात्र चार आराजीयात ही क्रमशः आराजी नम्बर 376, 377, 378, 393 को ही नामान्तरकरण में दर्ज कर नामान्तरकरण स्वीकृत कराया जिससे ये चारो आराजीयात ही हमारे नाम पर खाते में दर्ज हो सकी। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। पटवारी द्वारा अकारण ही विक्रय पत्र में वर्णितानुसार सम्पूर्ण आराजीयात को बेचान के नामान्तरकरण में दर्ज नही किये जाने से हमारी क्रयसुदा कृषि भूमि में से आराजी नम्बर 389 एवं 406 हमारे नाम पर दर्ज होने से रह गई और हमारी क्रयसुदा यह आराजीयात विक्रेता नवला व खेमा के नाम पर ही दर्ज रह गई और विक्रेता खेमा के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जानबुझकर यह जानते हुए कि उक्त कृषि भूमि में उनके पिता एवं नवला या उनका कोई हक हिस्सा नही हैं क्योंकि खेमा व नवला ने यह जमीन हमें बेचकर काबिज करा रखा है फिर भी खेमा के मरने के बाद विरासत के नामान्तरकरण के जरिए खेमा के नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने नाम पर रद्दोबदल करवा दी। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। उपरोक्त परिवर्तन से हमारी क्रयसुदा हिस्सा कृषि भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता द्वारा उक्त जमीन बेचने के बाद इनके पिता या इनका कभी कोई हक अधिकार कब्जा नही रहा है और न ही वर्तमान में है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा हमारी क्रयसुदा कृषि भूमि बाबत् जो भी परिवर्तन करवाया गया है वह सभी हमारे मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त आराजीयात विक्रेता खेमा व नवला से क्रय की गई हिस्सा भूमि वर्तमान में हमारे नाम पर अंकन नही होने से हम को भारी असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त गलत अंकन की आड़ लेकर हमारी जमीन को नाजायज तरीके से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है और नवला के लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की जमीन को भी अपने नाम कराने पर उतारू हो रहे हैं। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये हम वादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में हम वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये खेमा व नवला से क्रय की गई कृषि भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व नवला के नाम दर्ज है, को हमारे हिस्सेनुसार हम वादीगण के नाम खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं जिसके लिये यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. निवेदन किया कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला हैं। क्योंकि हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता खेमा व नवला से उनके हक हिस्से की भूमि को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है और जमीन खरीदने के बाद से ही हम क्रेतागण अपनी क्रयसुदा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और आज भी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और काफी खर्चा कर एवं मेहनत मजदूरी कर अपनी जमीन को विकसित कर आवादान किया है। किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विक्रीत कृषि भूमि को पटवारी द्वारा मनमाने ढंग से हम क्रेतागण के नाम दर्ज नही किये जाने से हमारे नाम नही हो सकी और विक्रेता खेमा व नवला के नाम दर्ज रह गई और विक्रेता खेमा के फौत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने हमारी क्रयसुदा जमीन को अपने नाम पर विरासत से रद्दोबदल करवा ली और नवला के लाऔलाद फौत होने से नवला की जमीन को भी अपने नाम पर रद्दोबदल कराने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। जबकि इन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नही हैं। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में काफी वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है और ये इनके मौरूस द्वारा हमें बेची हुई जमीन अपने नाम पर अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर पुनः दूसरे लोगों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने एवं हमें बेदखल करने की धमकीयां दे रहे [illegible] कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

हमारी खरीदसुदा हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही हैं। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि हम वादीगण की क्रयसुदा वाद वर्णित कृषि भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं मृतक नवला पिता परथा डांगी के नाम दर्ज है, उसे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अन्य किसी को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, हम वादीगण को हमारे द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 46,47,48 को भी पाबन्द किया जावें कि वे ताफैसला मूल वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे, न नामान्तरकरण खोले, न स्वीकृत करें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नही है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को अशोधनीय क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा।

6. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 01—10—2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने मौके पर आकर हम वादीगण को हमारी खरीदसुदा कृषि भूमि उनके नाम पर अंकन होने की बात कहते हुए इसे अन्य को बेचने एवं हम वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं मृतक खातेदार नवला पिता परथा डांगी के नाम अंकित हक हिस्से का हम वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर (विक्रय पत्र में वर्णित हिस्से में बराबर—बराबर हिस्सेनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें और इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। हम वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने नाम पर अंकित भूमि एवं मृतक खातेदार नवला पुत्र परथा डांगी के नाम अंकित भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादीगण द्वारा खरीदी गई भूमि का वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, कब्जा नही, प्रवेश नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे, नुकसान नही पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 46 से 48 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज नामान्तरकरण खुलाने / पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करें तो उसका पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, न स्वीकृत करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, रेकर्ड में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, न करावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15, 17 से 24, 27 से 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38 से 45 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 16, 25, 26, 30, 33, 37 के विरूद्व वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप किया जा चुका हैं।

9. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री चेना पित नान जी डांगी का पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा मांगथला की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 256 प्रदर्श 1, खाता संख्या 333 प्रदर्श 2, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.1977 असल प्रदर्श 3 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 3ए, मौजा मांगथला का नामान्तरकरण संख्या 253 प्रदर्श 4 करवाये गये।

10. अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

11. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077—80 के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 389 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, नवला पुत्र परथा एवं अन्य सहखातेदारो के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 333 पर दर्ज आराजी नम्बर 406 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, नवला पुत्र परथा एवं अन्य सहखातेदारो के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रदर्श 3ए जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.77 से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता खेमा एवं नवला पिता परथा डांगी द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के मौरूस गोवर्धन को विक्रय कर दिया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व कर्मचारियों को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रदर्श 4 नामान्तरकरण संख्या 253 से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के मौरूस के नाम दर्ज की गई, परन्तू राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण पारित नही किया गया तथा वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण पारित नही करने का कारण भी अंकित नही किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता खेमा का निधन हो गया। खेमा के निधन के पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत नामान्तरकरण पारित कर खेमा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया गया। वादीगण के कथनानुसार विक्रेता नवला पिता परथा डांगी भी लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके निकटतम वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 ही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के मौरूस के द्वारा वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निष्पादन से ही खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम नही किया है। नामान्तरकरण संख्या 253 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पारित किया गया परन्तु वादग्रस्त आराजीयात को छोड़ दिया गया जिसके संबंध में कोई कारण भी अंकित नही किया गया। ऐसा [illegible]का राजस्व कर्मचारियो को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नही था। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077—80 के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 389 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं नवला पुत्र परथा के नाम 2/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 2/9 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 2/9 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को संयुक्त रूप से 2/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 333 पर दर्ज आराजी नम्बर 406 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, नवला पुत्र परथा के नाम 5/54 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 5/162 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 5/162 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को संयुक्त रूप से 5/162 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

<u>उनवान्</u>

1. हीरा पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 85 वर्ष, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. चेना पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 80 वर्ष, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. गेबीलाल पिता खेमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. तुलसीराम पिता खेमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. धापु पुत्री खेमा जी पत्नी रामाजी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. मीरा पुत्री खेमा जी पत्नी तुलसीराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. रूपलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. चुन्नीलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. मोवनी पुत्री गोर्धन जी पत्नी वाला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नउवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. सुखा पुत्री गोर्धन जी पत्नी मोहन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. लेहरीबाई पत्नी गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. गणेश पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. अमरलाल पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. दौलतराम पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

13. रतनलाल पिता सवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. दौलीबाई पुत्री सवा जी पत्नी स्व० हजारी जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (करूमड़ो का ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. खेमराज पिता जोधराज जी (माता चुन्नीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी 'विकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. पुष्पाबाई पुत्री जोधराज पत्नी दूदा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी झीपो का रेहट, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
17. लीलाबाई पुत्री जोधराज पत्नी गेहरीलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी सांगवा (नोहरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. उदयलाल पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. नानू पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. नारी पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. मीठू पिता नाथु जी (माता माणीबाई) जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा (हरदावतो की मगरी) तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. दूदाराम पिता भेरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. गेहरीलाल पिता भेरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. गणेशी पुत्री भेरा जी पत्नी भेरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. गोपी पुत्री भेरा जी पत्नी गंगाराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नेता का गुड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
26. फेफा बाई पुत्री भेरा जी पत्नी चेना जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी सीला का गुड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
27. वरदा पिता भगा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला गथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. चुन्नीलाल पिता भगा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. पुरालाल पिता भगा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
30. चन्दरीबाई पुत्री भगा पत्नी कालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

31. ऐजीबाई पुत्री वाला जी पत्नी भोला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
32. कँकू पुत्री वाला जी पत्नी डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
33. मोवनी पुत्री वाला जी पत्नी भज्जा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी झीपो का रेहट, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
34. भेरा पिता वाला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
35. जीवा पिता गंगाराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
36. देवा पिता गंगाराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
37. हगी पुत्री गंगाराम जी पत्नी कालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी रठूजणा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०) है)
38. वेणा पिता टीला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई). तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
39. दूदाराम पिता टीला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
40. मांगीलाल पिता गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
41. लक्ष्मीबाई पिता गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
42. —नीमा पिता गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
43. झमकू पत्नी गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
44. वख्ता पिता देवा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
45. हमेरा पिता पदमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
46. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
47. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
48. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 157/23 (वाद) GCMS No. – 2023/457

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 389 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं नवला पुत्र परथा के नाम 2/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 2/9 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 2/9 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को संयुक्त रूप से 2/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 333 पर दर्ज आराजी नम्बर 406 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, नवला पुत्र परथा के नाम 5/54 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 5/162 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 5/162 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को संयुक्त रूप से 5/162 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested